अध्याय I
प्रस्तावना

1.1 इस प्रतिवेदन के संबंध में

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी ए जी) का यह प्रतिवेदन 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये भारत सरकार के अन्तर्गत संचार मंत्रालय (एम ओ सी) तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई) एवं इन मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) से संबंधित वित्तीय लेन-देनों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न होने वाले प्रकरणों से संबंधित है।

यह अध्याय मंत्रालयों/विभागों/इकाइयों और इन मंत्रालयों के अन्तर्गत संस्थाओं का खाका प्रदान करने के साथ उनके व्यय का संक्षिप्त विश्लेषण उपलब्ध करता है। इस अध्याय में मंत्रालयों/विभागों और मंत्रालयों के अधीन पी एस यू के लेखापरीक्षा पर्यवेक्षणों की अनुवर्ती भी सम्मिलित है। अध्याय II से IV दूरसंचार विभाग, डाक विभाग और इन विभागों के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) के लेखापरीक्षा से प्राप्त वर्तमान परिणाम/पर्यवेक्षणों से संबंधित है।

1.2 लेखापरीक्षा हेतु प्राधिकार

सी ए जी द्वारा लेखापरीक्षा हेतु एवं संसद को प्रतिवेदित करने हेतु प्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 तथा सी ए जी के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) डी पी सी अधिनियम, 1971 से उत्पन्न होता है। सी ए जी, भारत सरकार के मंत्रालयों / विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा सी ए जी के (डी पी सी) अधिनियम की धारा 13[1] और 17[2] तथा पी एस यू की लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 19[3] के तहत करता है।

---

[1] (i) भारत की समेकित निधि से सारा व्यय,
(ii) आकास्मिक निधि व सार्वजनिक खातों से सम्बन्धित सभी लेन-देन तथा (iii) सम्पूर्ण व्यापार, विनिर्माण, लाभ व हानि खाते, तुलन-पत्र व अन्य सहायक लेखों की लेखापरीक्षा

[2] केन्द्र अथवा राज्य के विभाग अथवा किसी कार्यालय में रखे गये भंडार व स्टॉक के लेखों पर लेखापरीक्षा व रिपोर्ट

[3] संसद द्वारा बनाये गये कानून द्वारा अथवा उसके अधीन सरकारी कम्पनियों व कारपोरेशन के लेखों की लेखापरीक्षा (जो कम्पनी नहीं है)।

1.3 लेखापरीक्षा की योजना और संचालन

सी ए जी द्वारा प्रख्यापित लेखापरीक्षा मानकों और निष्पादन लेखापरीक्षा दिशानिर्देश के अनुसार प्रतिपादित सिद्धातों और व्यवहारों के अनुरुप लेखापरीक्षा की जाती है। लेखापरीक्षा प्रक्रिया मंत्रालय/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के जोखिम के आँकलन के साथ प्रारम्भ होती है। इस जोखिम मूल्याँकन के आधार पर लेखापरीक्षा की आवृति और सीमा तय की जाती है।

लेखापरीक्षित इकाइयों की रुपरेखा

1.4 संचार मंत्रालय

1.4.1 दूरसंचार विभाग

दूरसंचार विभाग नीति निर्माण, निष्पादन समीक्षा, निगरानी, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और दूरसंचार क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिये जिम्मेदार है। विभाग आवृति का आवंटन भी करता है और अन्तर्राष्ट्रीय निकायों के साथ निकट समन्वय में रेडियों संचार का प्रबंधनकर्ता है। यह बेतार नियामक उपायों को लागू करने और देश में सभी उपयोगकर्ताओं के बेतार संचरण की निगरानी करने के लिये भी जिम्मेदार है। सरकार द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, विभाग विभिन्न दूरसंचार सर्किलों में आधारभूत व मूल्यवर्धित सेवाएं देने हेतु ऑपरेटरों को लाइसेन्स प्रदान करने के लिये भी जिम्मेदार है।

- **राजस्व व व्यय का विश्लेषण**

वर्ष 2016-17 और पिछले चार वर्षों के दौरान दूरसंचार विभाग के राजस्व और व्यय की तुलनात्मक स्थिति नीचे तालिका में दी गई है

तालिका-1:

दूरसंचार विभाग के राजस्व और व्यय

(₹ करोड़ मे)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
राजस्व	18,902.00	40,113.76	30,624.18	55,129.10	70,241.14
व्यय	9,273.38	10,835.57	13,026.14	23,584.81	31,067.78

*(**स्रोत:** दूरसंचार विभाग के विनियोग एवं वित्तीय लेखे)*

व्यय के मुख्य अंश संचार सेवाओं पर व्यय (58 प्रतिशत) और पेंशन तथा अन्य सेवानिवृति लाभ (लगभग 30 प्रतिशत) है। विभाग के राजस्व के प्रमुख स्रोत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से प्राप्त लाइसेन्स शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार है। पिछले पाँच वर्षो के दौरान प्राप्त लाइसेन्स शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभारों का विवरण नीचे दिया गया है

तालिका-2:

प्राप्त लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभारों का विवरण

(₹ करोड़ मे)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
लाइसेंस शुल्क	11,456.48	14,628.47	12,358.29	15,771.27	15,614.44
स्पेक्ट्रम राजस्व[4]	7,401.43	25,150.85	17,841.93	36,486.91	53,860.69

*(**स्रोत:** वित्त लेखा, केन्द्रीय सरकार 2016-17)*

वर्ष 2016-17 के दौरान, मोबाइल सेवा की प्राप्तियों में वृद्धि के कारण वर्ष 2015-16 की तुलना में स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार में 47.62 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

➢ दूरसंचार क्षेत्र की संक्षिप्त रुपरेखा

दूरसंचार, देश के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास के लिये अपेक्षित आर्थिक वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों में से एक के रुप में विकसित हुआ है। दूरसंचार क्षेत्र ने पिछले दशक के दौरान एक असाधारण वृद्धि देखी। 2012-13 से 2016-17 अवधि के दौरान, टेलीफोन ग्राहकों की संख्या 89.80 करोड़ से बढ़कर 119.50 करोड़ हुई। दूरसंचार क्षेत्र में वर्ष 2012-13 से 2016-17 के लिये समग्र विकास की स्थिति तालिका में दी गई है।

तालिका-3: दूरसंचार क्षेत्र में वृद्धि की स्थिति

वर्ष	अभिदाता (करोड़ में)					संचार घनत्व (प्रतिशतता में)		
	कुल	ग्रामीण	शहरी	वायर लाइन	बेतार	समग्र	ग्रामीण	शहरी#
2012-13	89.80	34.92	54.88	3.02	86.78	73.32	41.02	146.96
2013-14	93.30	37.77	55.53	2.85	90.45	75.23	43.96	145.78
2014-15	99.65	41.93	57.72	2.66	96.99	79.38	48.37	148.61
2015-16	105.93	44.78	61.16	2.52	103.41	83.40	51.26	154.18
2016-17	119.50	50.18	69.32	2.44	117.06	91.08	56.47	166.71

*(**स्रोत:** दूरसंचार विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन)*

शहरी क्षेत्रों में संचार घनत्व की प्रतिशतता 100 प्रतिशत से भी अधिक थी चूंकि अधिकतर उपभोगकताओं के पास एक से अधिक कनैक्शन थे।

[4] स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार तथा नीलामी शुल्क सम्मिलित है (अपफ्रंट तथा आस्थागित भुगतान दोनो ही)।

पिछले पाँच वर्षों के दौरान उपभोक्ता आधार के संदर्भ में दूरसंचार क्षेत्र में वृद्धि नीचे दिये गये ग्राफ में दर्शायी गयी है।

चार्ट 1: उपभोक्ता आधार में वृद्दि-निजी बनाम पी एस यू

उपभोक्ताओं की संख्या (करोड़ में)

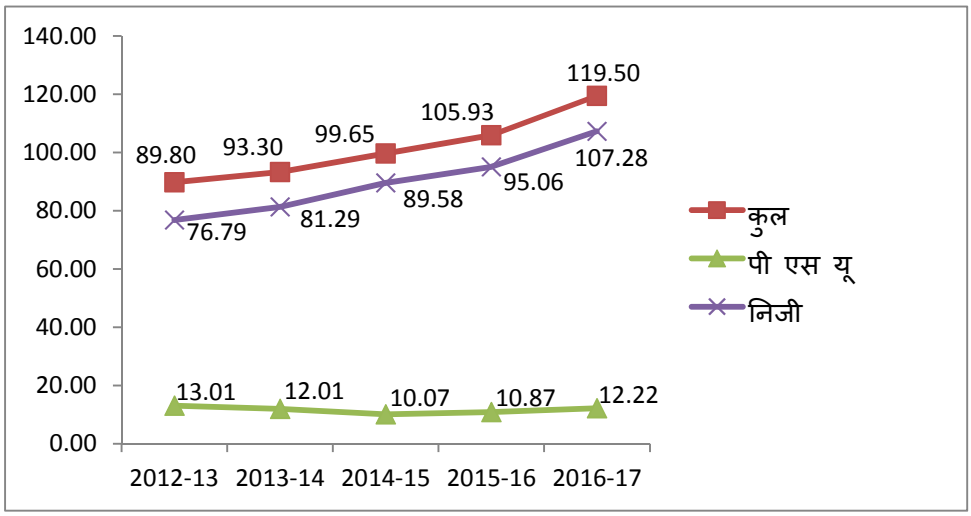

*(**स्रोत:** दूरसंचार विभाग के मासिक दूरसंचार परिदृश्य से)*

जैसा कि ऊपर ग्राफ से स्पष्ट है, कि सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों की तुलना में निजी दूरसंचार कंपनियों का उपभोक्ता आधार अधिक है। अंतिम पांच वर्षों की अवधि में पी एस यू का उपभोक्ता आधार 7 प्रतिशत से घट गया (वर्ष 2012-13 में 13.01 करोड़ से 2016-17 में 12.22 करोड़) जबकि निजी कम्पनियों के उपभोक्ताओं की 40 प्रतिशत (76.79 करोड़ से 107.28 करोड़) से बढ़ोतरी हो गयी।

➢ क्षेत्र का नियामक ढाँचा

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई)

ट्राई की स्थापना, दरों में निर्धारण/संशोधन सहित दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने हेतु, जो पहले केन्द्र सरकार में निहित था, संसद के एक अधिनियम द्वारा 20 फरवरी 1997 को की गई थी। ट्राई का मुख्य उद्धेश्य एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जो निष्पक्ष एवं पारदर्शी हो, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाला हो, सभी सेवा प्रदाताओं को एक समान अवसर प्रदान करे। उपभोक्ताओं के हितो का संरक्षण करें, तथा सभी को प्रौद्योगिकी लाभ दिलाने वाला हो। ट्राई अधिनियम के तहत, ट्राई को निम्नलिखित अधिकार दिया गया है:-

- ❖ लाइसेंस के नियमों व शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करना

- ❖ सेवा प्रदाताओं द्वारा दी जाने वाले सेवा गुणवत्ता का मानक निर्धारित करना तथा सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना
- ❖ टैरिफ पॉलिसी निर्धारित करना एवं नये सेवा प्रदाताओं के प्रवेश हेतु शर्तों के साथ ही साथ सेवा प्रदाता को लाइसेंस के लिये नियमों व शर्तों की अनुशंसा करना
- ❖ टैरिफ पालिसी के अनुक्रमण, वाणिज्यक तथा अंत संयोजन के तकनीकि पहलुओं से संबंधित मामलों पर विचार व निर्णय
- ❖ काल राउटिंग एवं काल हैंडओवर के सिद्धांत
- ❖ जनता के लिये विभिन्न सेवा प्रदाताओं में चुनने की स्वतंत्रता एवं समान आसान पहुँच
- ❖ बाजार विकास तथा विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के लिये विविध नेटवर्क ढांचों के कारण उत्पन्न हो सकने वाले संघर्ष का समाधान
- ❖ विद्यमान नेटवर्क व प्रणालियों को और उन्नत करने की आवश्यकता और
- ❖ सेवा प्रदाताओं में बातचीत तथा उपभोक्ता संगठनों के साथ प्राधिकरण की बातचीत के लिये फोरम विकसित करना।

सरकार ने दिनांक 9 जनवरी 2004 की अधिसूचना द्वारा प्रसारण सेवाओं एवं केबल सेवाओं को दूरसंचार सेवा के रुप में परिभाषित किया, तथा सभी क्षेत्रों को ट्राई के अन्तर्गत लाया गया। ट्राई के लिये आवश्यक है कि वह या तो स्वयं या फिर लाइसेंस प्रदाता अर्थात दूरसंचार विभाग, संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से अथवा सूचना व प्रसारण मंत्रालय से प्रसारण एवं केबल सेवाओं के संबंध में संदर्भ प्राप्त होने पर, सिफारिशें दे।

दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपील अधिकरण (टी डी सैट)

एक लाइसेंस प्रदाता और एक लाइसेंसधारी के मध्य, दो या अधिक सेवा प्रदाताओं के मध्य, एक सेवा प्रदाता और उपभोक्ताओं के समूह के मध्य किसी भी विवाद का निर्णय करने के लिये तथा ट्राई के किसी निर्देश, निर्णय या आदेश के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई और निपटान के लिये 24 जनवरी 2000 से प्रभावी दूरसंचार विवाद समाधान एंवम् अपील अधिकरण की स्थापना ट्राई अधिनियम में एक संशोधन के जरिए हुई थी।

➢ दूरसंचार विभाग की महत्वपूर्ण इकाइयाँ

दूरसंचार विभाग में, दूरसंचार प्रवर्तन एवं संसाधन अनुश्रवण (टर्म) प्रकोष्ठ, नियंत्रक संचार लेखा (सी सी ए), वायरलेस प्लानिंग एण्ड कोऑर्डिनेशन विंग (डब्लयू पी सी), दूरसंचार अभियंत्रिक केन्द्र (टी ई सी), राष्ट्रीय दूरसंचार नीति अनुसंधान संस्थान (एन टी आई), राष्ट्रीय संचार वित्त संस्थान (एन आई सी एफ) तथा टैलीमैटिक्स विकास केन्द्र (सी डॉट) जो कि अनुसंधान व विकास इकाई है, शामिल हैं।

➢ सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यू एस ओ फंड)

ग्रामीण दूरभाष को प्रोत्साहन देने के लिये, भारत सरकार ने संसद के एक अधिनियम द्वारा 1 अप्रैल 2002 से प्रभावी एक सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यू एस ओ फंड) का गठन किया। सार्वभौमिक सेवा दायित्व को पूरा करने के लिये संसाधन सार्वभौमिक अभिगम उद्ग्रहण (यू ए एल), के माध्यम से, जो कि विभिन्न लाइसेंसों के अन्तर्गत सभी संचालकों द्वारा अर्जित राजस्व का कुछ प्रतिशत था, से जुटाए जाने थे। भारतीय तार अधिनियम, 2003 के पैरा 9 बी के अनुसार, यू एस ओ फंड के लिये प्राप्त धन राशि को पहले भारत की समेकित निधि में जमा किया जाएगा, और केन्द्र सरकार, यदि संसद इस निमित्त कानून द्वारा विनियोग से ऐसा प्रदान करती है, समय-समय पर ऐसी आय को सार्वभौमिक सेवा दायित्व को विशेष रुप से पूरा करने के उपयोग हेतु निधि में जमा कर सकती है। तदनुसार 31 मार्च 2017 तक यू एस ओ उद्ग्रहण के रुप में ₹ 85716.80 करोड़ की राशि दूरसंचार विभाग द्वारा एकत्र की गई, जिसे भारत की समेकित निधि में जमा कर दिया गया था। तथापि, दूरसंचार विभाग द्वारा इस राशि में से मात्र ₹ 37309.26 करोड़ (43.53 प्रतिशत) संसद के विनियोग द्वारा दूरसंचार विभाग में 31 मार्च 2017 तक प्राप्त किये गये तथा यू एस ओ फण्ड में जमा किये। इसमें वर्ष 2002-06 के दौरान लाइसेन्स शुल्क और स्पेक्ट्रम प्रभार के रुप में भारत संचार निगम लिमिटेड को 2008-09 में यू एस ओ फंड के अन्तर्गत ग्रामीण दायित्वों को पूरा करने के एवज में प्रतिपूर्ति किये गये ₹ 6,948.64 करोड़ भी सम्मिलित है। अत: ₹ 48407.54 करोड़ की राशि अभी तक भारत सरकार द्वारा यू एस ओ फंड को हस्तांतरित नही की गई है।

1.4.2 विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पी एस यू)

विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण के अन्तर्गत महत्वपूर्ण पी एस यू की संक्षिप्त रुपरेखा नीचे दी गयी है।

भारत संचार निगम लिमिटेड

अक्टूबर 2000 में गठित भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला भारत संचार निगम लिमिटेड (बी एस एन एल) दिल्ली और मुम्बई को छोड़कर, देश के कोने-कोने में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करता है। बी एस एन एल एक तकनीक उन्मुख कम्पनी है जो विभिन्न प्रकार की दूरसंचार सेवायें जैसे कि लैंड़लाइन पर दूरभाष सेवायें, वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू एल एल) एवं ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्यूनिकेशनस (जी एस एम), ब्राडबैंड, इन्टरनेट, लीज्ड सर्किट एवं लम्बी दूरी की दूरसंचार सेवा प्रदान कराता है। वर्ष 2016-17 के दौरान कम्पनी का कुल राजस्व ₹ 31,533.44 करोड़ था व इसे ₹ 4,793.21 करोड़ की हानि हुई।

विगत तीन वर्षों में कम्पनी का समग्र निष्पादन नीचे वर्णित है।

तालिका-4:

विगत तीन वर्षों में बी एस एन एल का निष्पादन

वर्ष	राजस्व	व्यय	हानि	अभिदाता बेस		
				वायर लाइन	बेतार	कुल
	(₹ करोड़ में)			(₹ करोड़ में)		
2014-15	28,645.20	37,292.10	8,234.09	1.64	7.72	9.36
2015-16	32,918.70	36,742.72	3,879.92	1.48	8.68	10.16
2016-17	31,533.44	36,326.65	4,793.21	1.38	9.62	11.00[5]

उपरोक्त डेटा के विश्लेषण से यह पता चलता है कि कम्पनी के राजस्व में वर्ष 2015-16 के दौरान वृद्धि हुई है, हालाँकि वर्ष 2016-17 में कमी हुई है। इसके अतिरिक्त, वायरलाईन उपभोक्ताओं के अभिदाता बेस में कमी देखी गई जबकि बेतार अभिदाता के मामले में वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक वृद्धि देखी गई।

[5] दूरसंचार विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार अभिदाता बेस उपलब्ध है (नवम्बर 2016 तक)

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम टी एन एल) को एक पूर्ण स्वामित्व सरकारी कम्पनी के रुप में कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत 1986 में स्थापित किया गया था तथा यह दिल्ली व मुम्बई में दूरसंचार नेटवर्क का नियंत्रण, प्रबंधन व प्रचालन के लिये उत्तरदायी है। एम टी एन एल इन दो महानगरों में फिक्सड लाइन दूरसंचार सेवा एवं जी एस एम मोबाइल सेवा का प्रमुख प्रदाता है। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड पृथक गैर-विशिष्ट लाइसेंस करार के अन्तर्गत दिल्ली व मुम्बई में डायल अप इंटरनेट सेवाएं भी प्रदान कर रहा है। यह ब्राड़बैंड व 3 जी सेवायें भी प्रदान कर रहा है। सरकार ने वर्ष 1994 में 20 प्रतिशत अंश बैंक/उनके सहायक और वित्तीय संस्थानों में विनिवेश किया। एम टी एन एल अभी तक सूचीबद्ध कम्पनी है और 56.25 प्रतिशत अंश सरकार के पास और शेष निजी अंशधारकों के पास है। वर्ष 2016-17 के दौरान कम्पनी का कुल राजस्व ₹ 3,552.46 करोड़ था और इसे ₹ 2,970.57 करोड़ की हानि हुई।

विगत तीन वर्षों में कम्पनी का समग्र निष्पादन नीचे वर्णित है:

तालिका-5: विगत तीन वर्षों में एम टी एन एल का निष्पादन

वर्ष	राजस्व	व्यय	हानि	अभिदाता बेस		
				वायर लाइन	बेतार	कुल
	(₹ करोड़ में)			(करोड़ में)		
2014-15	3,821.06	6,723.48	2,893.41	0.36	0.35	0.71
2015-16	3,512.71	6,351.19	2,005.74	0.35	0.36	0.71
2016-17	3,552.46	6,497.91	2,941.08	0.35	0.36	0.71

वर्ष 2015-16 की तुलना में वर्ष 2016-17 मे कम्पनी के राजस्व में थोड़ी वृद्धि हुई। 2014-15 से 2016-17 की अवधि में खर्चे में अधोगति प्रवृत्ति दिखाई दी। वायरलाइन एवं बेतार उपभोक्ताओं का अभिदाता आधार कमोबेश वही रहा।

मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड (एम टी एल)

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (म.टे.नि.ले) द्वारा मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड (एम टी एल) की स्थापना वर्ष 2000 में एक पूर्ण स्वामित्व सहायक कम्पनी के रुप में सबमेरिन केबिल परियोजना की स्थापना तथा आई टी समाधान के लिये की गई। वर्ष 2016-17 कम्पनी का कुल राजस्व ₹ 5.12 करोड़ था और इसने ₹ 0.40 करोड़ का लाभ अर्जित किया।

आई टी आई लिमिटेड

आई टी आई दूरसंचार के क्षेत्र में भारत का अग्रणी है। आई टी आई ने 1948 में बंगलुरू में अपने संचालन प्रारम्भ किया जो कि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, उत्तर प्रदेश में नैनी, रायबरेली और मनकापुर तथा केरल में पालक्काड में निर्माण सयंत्र स्थापित कर अन्य क्षेत्रों में आगे विस्तारित किया। कम्पनी का कुल राजस्व वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 1903.99 करोड़ था तथा ₹ 304.88 करोड़ का लाभ अर्जित किया।

टेलीकम्युनिकेशन्स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड (टी सी आई एल)

भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले टेलीकम्युनिकेशन्स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड की स्थापना, दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में विश्वस्तरीय प्राद्योगिकी उपलब्ध कराने के मुख्य उद्देश्य से, विदेशी एवं घरेलू बाजारों में उचित विपणन रणनीति विकसित कर तथा अत्याधुनिक तकनीक को प्राप्त कर अपने संचालनों में उत्कृष्ट होने के लिये वर्ष 1978 में हुई थी। वर्ष 2016-17 के दौरान कम्पनी का कुल राजस्व ₹ 1205.11 करोड़ था तथा इसने ₹ 70.82 करोड़ लाभ अर्जित किया।

तमिलनाडु टेलीकम्यूनिकेशन्स लिमिटेड (टी टी एल)

तमिलनाडु टेलीकम्यूनिकेशन्स लिमिटेड को, टी सी आई एल (49 प्रतिशत), तमिलनाडु औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड (टी आई डी सी ओ) (14.63 प्रतिशत) तथा फुजीकुरा लिमिटेड ऑफ जापान (7.18 प्रतिशत) की एक त्रिकोणीय संयुक्त उद्धम के रुप में वर्ष 1988 में निगमित गया था। बाकी अंश बैंकों व वित्तीय संस्थानों, प्राइवेट ट्रस्ट, अप्रवासी भारतीय व भारतीय जनता के पास है। टी टी एल दूरसंचार के लिये आप्टीकल फाइबर केबिल का निर्माण करता है। यह कम्पनी बी आई एफ आर को सन्दर्भित है व 21 जुलाई 2010 को पुनर्गठन की एक योजना को संस्वीकृति प्रदान की गई थी। इसने टेबलेट पी सी व एफ टी टी एच (फाइबर टू होम) घटकों में भी

जाकर विविधता की। वर्ष 2016-17 के दौरान कम्पनी का कुल राजस्व ₹ 2.68 करोड़ था और कम्पनी को ₹ 16.26 करोड़ की हानि हुई।

इंटेलीजेन्ट कम्यूनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड (आई सी एस आई एल)

इंटेलीजेन्ट कम्यूनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड (आई सी एस आई एल) को टी सी आई एल और दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम (डी एस आई आई डी सी) जो दिल्ली सरकार का एक उपक्रम है, की एक संयुक्त उद्धम के रुप में वर्ष 1987 में निगमित किया गया, जिसमें टी सी आई एल के पास 36 प्रतिशत अंश तथा डी एस आई आई डी सी के पास 40 प्रतिशत अंश है। कम्पनी प्रख्यात ब्राण्ड़ों की हार्डवेयर वस्तुएं जैसे कम्पयूटर/दूरसंचार/आई टी आदि के व्यापार में संलिप्त है। यह कम्पनी विभिन्न संगठनों को जनशक्ति उपलब्ध करती है तथा लाइसेंस धारकों द्वारा व्यक्तिगत समझौता के अंतर्गत प्रत्येक को शिक्षा उपलब्ध कराती है। यह कम्पनी हार्डवेयर वस्तुओं के वार्षिक अनुरक्षण का भी कार्य अपने हाथ में लेती है। वर्ष 2016-17 में कम्पनी का कुल राजस्व ₹ 147.81 करोड़ था तथा इसने ₹ 3.66 करोड़ का लाभ अर्जित किया।

टी सी आई एल-बीना टोल रोड लिमिटेड

टी सी आई एल-बीना टोल रोड़ लिमिटेड, टी सी आई एल की पूर्ण धारित सहायक कम्पनी है तथा इसे 2012 में निगमित किया था। इस कम्पनी की संरचना, ढांचागत परियोजना के क्रियान्वयन के उद्देश्य से किया गया, अर्थात डिजाईन, निर्माण, वित्त संचालन एव हस्तांतरण (डी बी एफ ओ टी) आधार पर मध्यप्रदेश, भारत में बीना एवं कुरवाई नगर के बीच टोल रोड़ परियोजना। कम्पनी ने अपना वाणिज्यिक प्रचालन अप्रैल 2014 में प्रारम्भ किया। कम्पनी का वर्ष 2016-17 मे कुल राजस्व ₹ 5.15 करोड़ था एवं इसने ₹ 10.46 करोड़ हानि का वहन किया।

टी सी आई एल-लखनाडोन टोल रोड़ लिमिटेड

टी सी आई एल-लखनाडोन टोल रोड लिमिटेड, जो टी सी आई एल की पूर्ण धारिता सहायक कम्पनी है, को वर्ष 2013 में निगमित किया गया। यह एक विशेष उद्देश्य वाहन (एस पी वी) है जिसका गठन लखनाडोन टोल रोड़ परियोजना के विकास के लिये मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड़ (एम पी आर डी सी) के साथ रियातग्राही अनुबंध के क्रियान्वयन के उद्देश्य से हुआ। सितम्बर 2011 में टी सी आई एल द्वारा एम पी आर डी सी के साथ रियातग्राही अनुबंध हुआ और अगस्त 2014

मे टी सी आई एल, एम पी आर डी सी और कम्पनी के बीच एक त्रिपक्षीय अनुबंध हुआ ताकि टी सी आई एल के नाम को हटाकर कम्पनी का नाम रखा जा सके। इसके अतिरिक्त, परियोजना की समाप्ति तक टी सी आई एल एक सहायक संगठन के रुप में काम करेगी और इसे कम्पनी को सौप देगी। वर्ष 2016-17 के दौरान कम्पनी ने ₹ 1.93 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया तथा ₹ 4.64 करोड़ की हानि उठायी।

भारत ब्राडबैंड़ नेटवर्क लिमिटेड (बी बी एन एल)

भारत ब्राडबैंड़ नेटवर्क लिमिटेड (बी बी एन एल), जो एक विशेष उद्देश्य वाहन (एस पी वी) है, को राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाईबर नेटवर्क परियोजना (एन ओ एफ एन) निष्पादित करने हेतु 2012 में भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित किया गया। बी बी एन एल को, देश के लगभग 2.50 लाख ग्राम पंचायतों (जी पी) को पी एस यू नामतः बी एस एन एल, रेलटेल एवं पावर ग्रिड़ के मौजूदा फाइबरों को उपयोग करते हुए ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से जोड़ने तथा जहाँ आवश्यक हो, वहाँ ग्राम पंचायतों और ब्लॉकों के मध्य सम्पर्कता अंतर को भरने के लिये अतिरिक्त फाइबर बिछाने की, जिम्मेदारी दी गई है, जो कि पर्याप्त बैंडविड्थ के साथ ब्राडबैंड़ सम्पर्कता सुनिश्चित करेगा। कम्पनी का वर्ष 2016-17 में कुल राजस्व ₹ 106.33 करोड़ था और इसने ₹ 22.85 करोड़ की लाभ दिखाया।

हेमिस्फीयर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड (एच पी आई एल)

हेमिस्फीयर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड (एच पी आई एल), जो एक सार्वजिनक लिमिटेड कम्पनी है, को 2005 मे निगमित किया गया था और 18 मार्च 2014 से यह सरकारी कम्पनी हो गई। भारत सरकार व मैसर्स पानाटोन फीनवेस्ट लिमिटेड तथा अन्य टाटा कम्पनियों के मध्य 13 फरवरी 2002 को अंशधारक अनुबंध के खंड 7.10 व अंशधारक अनुबंध के खंड 4.7 के अनुसार कम्पनी को निगमित किया गया था, जिसमें विदेश संचार निगम लिमिटेड (वी एस एन एल) के विनिवेश के समय पहचान की गई अधिशेष भूमि कम्पनी में विसम्बद्ध हो जानी थी। दूरसंचार विभाग के माध्यम से भारत सरकार 51.12 प्रतिशत इक्विटी अंश का स्वामित्व रखती है और बाकि बचे हुये अंश मैसर्स टाटा केपिटल लिमिटेड एवं आफ्ताब इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड के स्वामित्व में है। कम्पनी की दत्त अंश पूँजी ₹ 5.00 लाख है। कम्पनी ने वर्ष 2016-17 में ₹ 5.88 लाख की राजस्व अर्जित की एवं ₹ 1.02 लाख की हानि उठाई है।

1.4.3 डाक विभाग

भारतीय डाक नेटवर्क विश्व में सबसे बड़ा नेटवर्क है जिसके अन्तर्गत 1.54 लाख से अधिक डाकघर है, तथा यह देश के दूरस्थ किनारों तक फैला हुआ है। विभाग की मुख्य गतिविधि डाक का प्रसंस्करण, प्रेषण एवं वितरण है, विभाग द्वारा विविध प्रकार की खुदरा सेवाएँ जिनमें धन प्रेषण, बैंकिग के साथ बीमा शामिल है, भी प्रदान की जाती है। यह सैन्य एव रेलवे पेंशन भोगियों को पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन के संवितरण कोयला खदानों के कर्मचारियों के परिवारों एवं कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत आने वाले उद्योगों के परिवारों की पारिवारिक पेंशन के संवितरण के कार्य में भी लगी है। डाक विभाग ने सामाजिक लाभ के भुगतानों जैसे महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनेरगा) व सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की भी जिम्मेदारी ली है।

वित्तीय निष्पादन

विभाग की आय 'राजस्व प्राप्तियाँ' एव 'वसूलियाँ'[6] के रुप में होती है। डाक विभाग के वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक की राजस्व प्राप्तियों, वसूलियों एवं राजस्व व्यय को नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका-6: डाक विभाग की राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजस्व प्राप्तियां	वसूलियां	राजस्व व्यय	घाटा (2)+(3)-(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2012-13	9,366.50	688.77	15,481.15	5,425.88
2013-14	10,730.42	593.19	16,796.71	5,473.10
2014-15	11,635.98	661.98	18,556.56	6,258.60
2015-16	12,939.79	707.70	19,654.67	6,007.18
2016-17	11,511.00	730.90	24,211.85	11,971.90

*(**स्रोत:** डाक विभाग के विनियोजन लेखे)*

वर्ष 2016-17 में डाक सेवाओं[7] पर ₹ 11,971.90 करोड़ का घाटा था। विभाग द्वारा घाटे का मुख्य कारण वेतन में वृद्धि, घरेलू यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, व्यवसायिक सेवा वे अन्य प्रभारों इत्यादि में बढे हुए व्यय के कारण कार्यचालन व्ययों में वृद्धि

[6] सेवायें, जो अन्य सरकारों व केन्द्र सरकार के विभागों को दी गई थी, के कारण वसूलियां

[7] घाटा का हिसाब राजस्व प्राप्तियां जिसमें वसूलियां शामिल है तथा राजस्व व्यय {(₹ 11,5111.00 + ₹ 730.90) - ₹ 24.211.85)} के बीच भिन्नता के रुप में किया गया था।

बताई गई। वर्ष 2012-13 से 2016-17 की अवधि में डाक सेवाओं में हानि की तुलनात्मक स्थिति निम्नवत् है।

चार्ट-2: डाक सेवाओं में घाटा

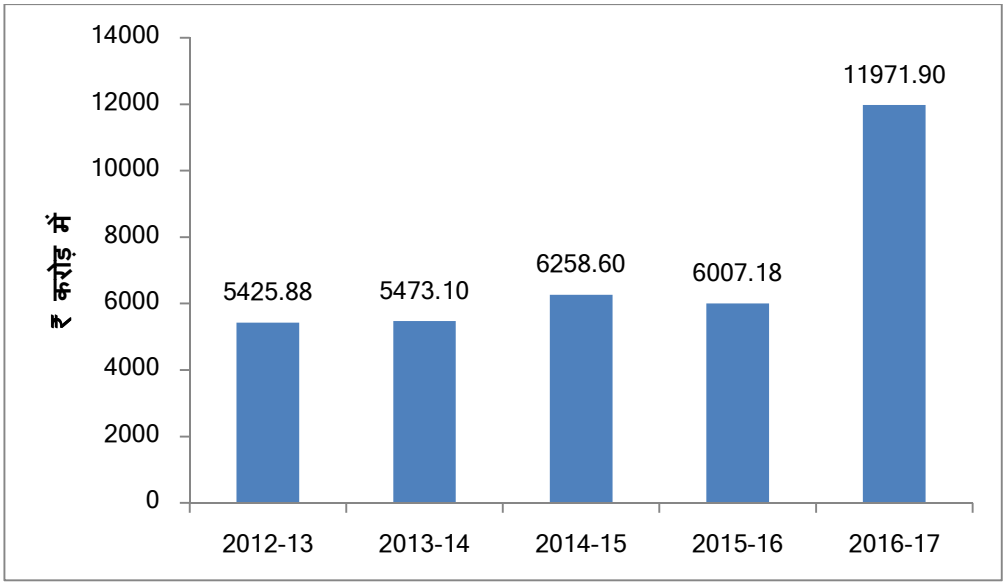

1.4.4 विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड

इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड (आई पी पी बी) को 17 अगस्त 2016 में भारत सरकार से 100 प्रतिशत इक्विटी प्राप्त डाक विभाग के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के रुप में संगठित किया गया था। कम्पनी 28 जनवरी 2017 को प्रारम्भ की गयी थी। आई पी पी बी माँग निक्षेप जैसे ₹ 1 लाख तक की शेष राशि के बचत एवं चालू खाते, डिजीटली सक्षम भुगतान और तत्व और व्यक्ति के बीच प्रेषण सेवाएं देता है तथा अन्य पार्टी वित्तीय सेवाएं जैसे बीमा कम्पनियों, म्यूच्यूअल फंड हाउस, पेंशन प्रदाताओं, बैंक, अंतर्राष्ट्रीय राशि हस्तांतरण संगठन आदि की साझेदारी के साथ बीमा, म्यूच्यूअल फंड, पेंशन, क्रेडिट उत्पाद, फोरेक्स आदि प्रदान करता है। कम्पनी का 31 मार्च 2017 को समाप्त अवधि के दौरान कुल राजस्व ₹ 44.98 करोड़ और लाभ ₹ 2.22 करोड़ था।

1.5 इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस मंत्रालय की परिकल्पना,

विकसित राष्ट्र एवं सशक्त समाज में परिवर्तन हेतु यंत्र के रुप में भारत का ई-विकास करना है।

भारतीय आई टी उद्योग, भारत के जी डी पी, निर्यात व रोजगार में महत्वपूर्ण रुप से योगदान करता रहा है। वर्ष 2009-10 से 2016-17 तक की अवधि का भारतीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं आई टी-आई टी ई एस (सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं) उद्योग के उत्पादन एवं वृद्धि नीचे चार्ट में दिया गया है।

चार्ट-3: इलेक्ट्रॉनिक एवं आई टी उत्पादन

(₹ करोड़ में)

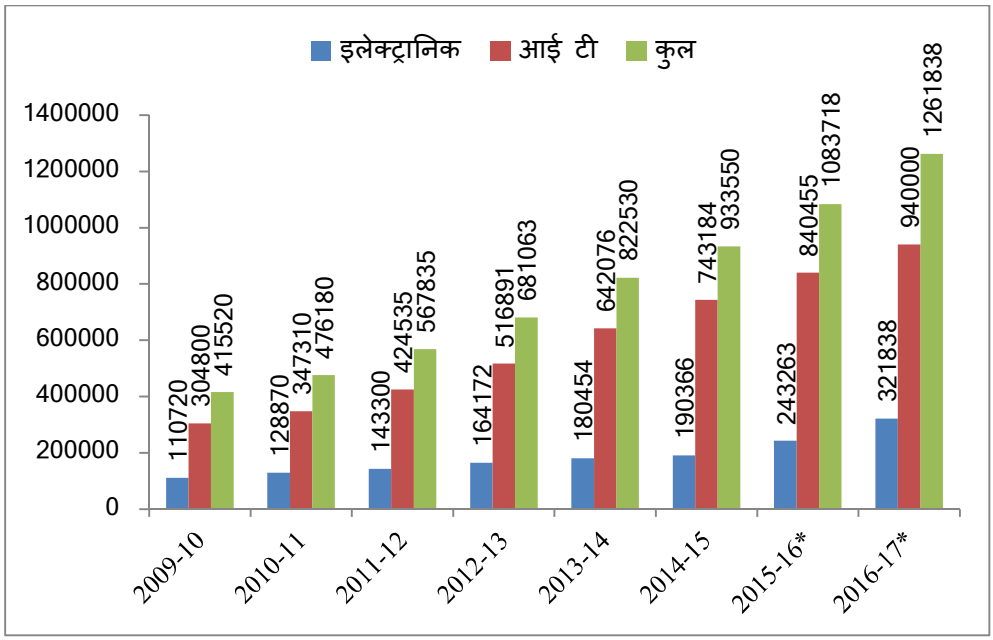

*(**स्रोत:** इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का वार्षिक प्रतिवेदन)*

**अनुमानित आँकड़े उद्योग संघ, मंत्रालयों एवं अन्य संगठनों से प्राप्त जानकारी पर आधारित है।*

विभाग का मानना है कि इलेक्ट्रोनिकी एवं आई टी-आई टी ई एस उद्योग के सतत् समग्र विकास का मुख्य कारण तुलनात्मक रुप से सॉफ्टवेयर एवं सेवाओं में अधिक वृद्धि है जो कि अधिकांशतः निर्यात संचालित है तथा इलेक्ट्रानिकी एवं आई टी क्षेत्र पर प्रभुत्व रखती है।

अपने कार्यो के निर्वहन हेतु, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भारत सरकार से अनुदान के रुप में बजटीय समर्थन प्रदान किया जाता है। वर्ष 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान प्राप्त हुए अनुदान के सापेक्ष इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया व्यय, तालिका में दिया गया है।

तालिका-7: अनुदान तथा व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान राशि	कुल व्यय
2012-13	3,051	1,903
2013-14	3,052	2,166
2014-15	3,929	3,583
2015-16	2,759	2,594
2016-17	3,719	3,641

*(**स्रोतः** इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विनियोजन लेखे)*

इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक प्राधिकरण नामतः भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू आई डी ए आई), दो संलग्नक कार्यालयों नामतः राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन आई सी) तथा मानकीकरण, जाँच और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय (एस टी क्यू सी) के अतिरिक्त पाँच संगठन[8] और सात स्वायत्त सोसायटी[9] है।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू आई डी ए आई)

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू आई डी ए आई) एक सांविधिक प्राधिकरण है जिसको इलैक्ट्रॉनिकी एवम सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 12 जुलाई 2016 को आधार (वित्त तथा अन्य छूट, लाभ और सेवाएं लक्षित) के अधिनियम, 2016 "आधार अधिनियम 2016" प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित किया गया है।

एक सांविधिक प्राधिकारी के रुप में स्थापित होने से पहले, गजट अधिसूचना सं-ए-43011/02/2009-प्रशा.। दिनांक 28 जनवरी 2009 के तहत भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण उस समय के योजना आयोग (वर्तमान में नीति आयोग) में

[8] नियंत्रक प्रमाणीकरण प्राधिकारी (सी सी ए), साईबर अपीलीय ट्रिब्यूनल (सी वाई ए टी) सेमीकन्डक्टर इन्टीग्रेटीड सर्कीट लेआऊट-डिजाईन रजिस्ट्री, इंडियन कम्पयूटर एमरजेन्सी रिसपॉन्स टीम (आई सी ई आर टी) तथा इन रजिस्ट्री।

[9] कम्पयूटर नेटवर्किंग में शिक्षा व अनुसंधान (ई आर एन ई टी), सैन्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवानस्ड कम्पयूटिंग(सी डैक), इलैक्ट्रोनिक प्रौद्योगिकी हेतु सामग्री के लिए केन्द्र (सी-मैट), ईलैक्ट्रोनिक व सूचना प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय संस्था (एन आई ई एल आई टी), सोसायटी फोर अपलाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रोनिक इंजीनियरिंग व अनुसंधान (समीर), सॉफ्टवेयर टैक्नॉलोजी पर्कस ऑफ इंडिया (एस टी पी आई) तथा इलैक्ट्रॉनिक व कम्पयूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउनसिल (ई एस सी)

अधीनस्थ कार्यालय के रुप में कार्यान्वित था। बाद में, 12 सितंबर 2015 को, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को उस समय के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ-संलग्न करने के लिए सरकार ने व्यापार नियम के आवंटन को संशोधित किया।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को भारत के सभी नागरिकों को विशिष्ट पहचान संख्या (यू आई डी) नामतः "आधार" जारी करने के उद्देश्य से बनाया गया था ताकि (क) ठोस रुप से दोहरी एवं गलत पहचान को हटाया जा सके, तथा (ख) एक आसान, कम मूल्य के तरीके से इसे सत्यापित एवं प्रमाणित किया जा सके। वर्ष 2016-17 के दौरान भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का व्यय बजट अनुदान के ₹ 1135.27 करोड़ की तुलना में ₹ 1132.84 करोड़ था।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन आई सी)

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन आई सी), केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों, जिलों और अन्य सरकारी निकायों को आधारभूत नेटर्वक और ई-शासन की सुविधा प्रदान करता है। यह केन्द्र और राज्य सरकारों के साथ निकट सहयोग में निम्नलिखित क्षेत्र में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई सी टी) सेवाओं की वृहत श्रृंखला प्रदान करता हैः-

(क) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ एवं केन्द्रीय क्षेत्र योजनाएँ,

(ख) राज्य क्षेत्र एवं राज्य प्रायोजित परियोजनाएँ, तथा

(ग) जिला प्रशासन प्रायोजित परियोजनाएँ।

मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय (एस टी क्यू सी)

वर्ष 1980 में स्थापित मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, अपने ग्राहकों को अत्याधुनिक तकनीक आधारित गुणवत्ता आश्वासन सेवाएँ प्रदान करने तथा आई टी क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित करने के लिये, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आदेश पत्र के साथ एक रुप होने के लिये, हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर दोनों क्षेत्रों हेतु एक अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त विश्वसनीय सेवा प्रदाता है। वर्ष 2016-17 के दौरान मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय का व्यय बजट अनुदान ₹ 115.00 करोड़ की तुलना में ₹ 108.26 करोड़ था।

1.5.1 मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पी एस यू)

मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का सक्षिप्त परिचय नीचे दिया गया है:-

डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन

आम आदमी तक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लाभों को लाने के उद्देश्य से, डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन, जो पूर्व में मीडिया लैब एशिया के नाम से जानी जाती थी, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत एक 'गैर-लाभकारी' कम्पनी है। मीडिया लैब एशिया के प्रयोग क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन यापन और विकलांगों के सशक्तिकरण के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग शामिल है। यह कम्पनी गारंटी द्वारा सीमित है और अन्य कोई सांझा पूंजी नहीं है। कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143(5) और 143(6) के प्रावधानों के अंतर्गत, इस कम्पनी का लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपा गया था। विकास कार्यों को पूर्ण करने के लिए कम्पनी प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम करती है। वर्ष 2016-17 के दौरान, कम्पनी ने ₹ 279.31 करोड़ कमाया जिसमें से ₹ 279.29 करोड़ (99.99 प्रतिशत) सहायता अनुदान से प्राप्त हुआ था।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र सेवायें इंक (एन आई सी एस आई)

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र सेवाएं इंक (एन आई सी एस आई) को सरकार संगठनों को पूर्ण आई टी समाधान उपलब्ध कराने के लिये, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के अधीन कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत 1995 में स्थापित किया गया था। एन आई सी एस आई का मुख्य उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित कर भारत के आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास प्रदान करना है। कम्पनी का कुल राजस्व ₹ 1,327.07 करोड़ था तथा वर्ष 2016-17 के दौरान कर के बाद अधिशेष ₹ 64.41 करोड़ था।

1.6 बजट और व्यय नियंत्रण

दूरसंचार विभाग, डाक विभाग तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संबंध में वर्ष 2016-17 के लिये विनियोजन लेखों का सारांश तालिका 8 में दिया गया है:

तालिका-8:

संचार मंत्रालय के अधीन दोनों विभागों तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को दिये गये अनुदान (वोटेड एवं चार्जड) तथा उनके द्वारा किये गये व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	मंत्रालय/विभाग	अनुदान/विनियोजन (अनुपूरक अनुदान सहित)	कुल व्यय	(-) बचत/ (+) आधिक्य
1	दूरसंचार विभाग	31,167.04	31,067.78	(-) 99.26
2	डाक विभाग	23,832.36	24,716.30	(+) 883.94
3	इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	3,718.89	3,641.38	(-) 77.51

*(**स्रोत:** वर्ष 2016-17 के लिये विभागों के विनियोजन लेखे)*

1.7 लेखापरीक्षा के दृष्टांतों पर वसूलियाँ

लेखापरीक्षा के दौरान, बी एस एन एल द्वारा अधिक भुगतान के दृष्टांत को पाया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

बी एस एन एल ने फरवरी 2008 में विभिन्न ढाँचा प्रदाताओं (आई पी) के साथ दूरसंचार सेवा प्रदान के उद्देश्य से अनुबंध में प्रवेश किया था। अनुबंध के अनुसार, भुगतान आई पी के "मूल समग्र दर" को ध्यान में रखकर किए जाने थे। हालाँकि, दरों को संशोधित कर दिया गया था और एक निश्चित तिथि के बाद से लगे हुए साइटों के लिए लागू भी था, बी एस एन एल ने पुराने दरों से ही भुगतान किया था जिसके कारण ₹ 9.13 करोड़ का अत्याधिक भुगतान हुआ। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर बी एस एन एल ने ₹ 9.03 करोड़ की राशि की वसूली की।

1.8 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई-(सिविल)

लोकसभा सचिवालय ने अप्रैल 1982 में सभी मंत्रालयों को अनुदेश जारी किये कि वे लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को सदन पटल पर रखे जाने के तुरंत बाद, इसमें सम्मिलित विभिन्न अनुच्छेदों पर की गयी उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई दर्शाते हुए, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) को टिप्पणी प्रस्तुत करें।

22 अप्रैल 1997 को संसद में प्रस्तुत अपने नौवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोकसभा) में लोक लेखा समिति (पी ए सी) ने इच्छा व्यक्त की कि मार्च 1994 तथा 1995 को

समाप्त हुए वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवदेनों से संबंधित लंबित कृत कार्रवाई टिप्पणियों (ए टी एन) का प्रस्तुतीकरण तीन माह की अवधि के अंदर पूरा किया जाना चाहिए और अनुशंसा की थी कि मार्च 1996 को समाप्त वर्ष और आगे के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित समस्त अनुच्छेदों पर ए टी एन, संसद में प्रतिवेदन के रखे जाने के चार माह के अंदर, लेखापरीक्षा से विधिवत पुनरीक्षण करवाकर, उनको प्रस्तुत किये जायें।

इसके अतिरिक्त, समिति ने 29 अप्रैल 2010 को संसद को प्रस्तुत अपने ग्यारहवें प्रतिवेदन (पंद्रहवी लोकसभा) में अनुशंसा की, कि उपचारात्मक कार्रवाई करने और पी ए सी को ए टी एन प्रस्तुत करने में असमान्य देरी के सभी मामलों में मुख्य लेखांकन प्राधिकारियों को व्यक्तिगत रुप से जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।

वर्ष 2017 की अवधि तक संघ सरकार (संचार व आई टी) के लेखापरीक्षा प्रतिवदेनों में सम्मिलित अनुच्छेदों पर ए टी एन की प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा में यह प्रकट हुआ कि जनवरी 2018 तक संचार मंत्रालय के अन्तर्गत दो विभागों अर्थात् डाक विभाग तथा दूरसंचार विभाग से संबंधित 43 अनुच्छेदों व इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित एक अनुच्छेद के संबंध में ए टी एन लंबित थे, जैसी कि **परिशिष्ट-I** में वर्णित है।

1.9 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई-(वाणिज्यिक)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी ए जी) के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विभिन्न कार्यालयों और विभागों में बनाये गये लेखाओं और अभिलेखों की संवीक्षा प्रक्रिया की परिणति का प्रतिनिधित्व करते है। अतः यह आवश्यक है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर कार्यकारी अधिकारी से उपयुक्त और समयबद्ध प्रतिक्रिया प्राप्त की जायें।

लोकसभा सचिवालय ने संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखे गये भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में समावेशित विभिन्न अनुच्छेदों/मूल्यांकनों पर समस्त मंत्रालयों से, उनके द्वारा की गयी उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई को दर्शाते हुए, टिप्पणियाँ (लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत पुनरीक्षित) प्रस्तुत करने के लिये अनुरोध किया (जुलाई 1985)। इस प्रकार की टिप्पणियाँ उन अनुच्छेदों/मूल्यांकनों के संबंध में भी प्रस्तुत की जानी आवश्यक थी जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की समिति (समिति) द्वारा विस्तृत जाँच के लिये

चयनित नहीं किया गया था। समिति ने अपने दूसरे प्रतिवेदन (1998-99 बारहवीं लोकसभा) में उपरोक्त निर्देशों को दोहराते हुए, निम्नलिखित सिफारिशें की थीः-

- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) के संबंध में कृत कार्रवाई टिप्पिणियों (ए टी एन) के प्रस्तुतीकरण के अनुश्रवण हेतु प्रत्येक मंत्रालयों में एक अनुश्रवण प्रकोष्ठ की स्थापना;
- विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत अनेकों पी एस यू से संबंधित अनुच्छेदों को समावेशित करने वाले प्रतिवेदनों के संबंध में ए टी एन के प्रस्तुतीकरण के अनुश्रवण हेतु सार्वजनिक उद्यम विभाग (डी पी ई) में एक अनुश्रवण प्रकोष्ठ की स्थापना; तथा
- संसद में प्रस्तुत किये गये सी ए जी के समस्त प्रतिवेदनों के संबंध में, संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवदेनों के प्रस्तुतीकरण की तिथि से छः माह के भीतर, लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत् पुनरीक्षित, ए टी एन पर अनुवर्ती कार्रवाई का समिति को प्रस्तुतीकरण।

उपर्युक्त सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करते हुए समिति ने अपने प्रथम प्रतिवदेन (1999-2000-तेरहवीं लोकसभा) में अपनी पूर्ववर्ती अनुशंसाओं को दोहराया कि डी पी ई को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा पृथक-पृथक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में समाविष्ट पर्यवेक्षणों पर की गयी अनुवर्ती कार्रवाई के अनुश्रवण हेतु स्वयं डी पी ई में एक पृथक अनुश्रण प्रकोष्ठ की स्थापना करनी चाहिए। तद्नुसार, अगस्त 2000 से सम्बंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा ए टी एन के प्रस्तुत करने पर अनुवर्ती कार्रवाई का अनुश्रवण करने के लिए डी पी ई में एक अनुश्रवण प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है। सम्बंधित मंत्रालयों में भी सी ए जी के विभिन्न प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर ए टी एन प्रस्तुत करने के लिए अनुश्रवण प्रकोष्ठ स्थापित किये गये है।

पुनः सचिवों की समिति की बैठक (जून 2010) में यह निर्णय लिया गया था कि अगले तीन माह के अन्दर सी ए जी लेखापरीक्षा अनुच्छेदों और सी ओ पी यू की अनुशंसाओं पर लम्बित ए टी एन/ए टी आर का निपटान करने हेतु विशेष प्रयास किये जाये। इस निर्णय (जुलाई 2010) को संप्रेषित करते हुए वित्त मंत्रालय ने भविष्य में शीघ्र कार्रवाई करने के लिए संस्थागत तंत्र की सिफारिश की।

संचार मंत्रालय एवं इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन पी एस यू से सम्बंधित वर्ष 2017 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समाविष्ट ए टी एन की प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा में पता चला कि जनवरी 2018 की स्थिति में, 112 अनुच्छेदों के संबंध में ए टी एन लम्बित थे, जैसा **परिशिष्ट-II** में वर्णित है।